78

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या:-1898/XIV-1/2013-8(8)/2010

प्रेषक,

डॉ0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर अवमाना याचिका संख्या 103/2013 में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त, 2013 के कम में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित संग्रह कुर्क अमीनों के देयकों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 24/2007 उत्तराखण्ड संग्रह कुर्क अमीन परिषद एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 14.9.2010 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय एवं अवमानना याचिका संख्या-13/2011, अवमानना याचिका संख्या-136/2011 में पारित निर्णयों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-693/XIV-1/2011-8(8)/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2011 द्वारा 86, शासनादेश संख्या:-1966/XIV-1/2011-8(8)/2010 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 द्वारा 01 तथा शासनादेश संख्या:-1631/XIV-1/2012-8(8)/2010 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 द्वारा 44 संग्रह कुर्क अमीनों तथा विशेष याचिका के अधीन नियुक्त किए गए 03 मृतक आश्रित कुर्क अमीन अर्थात 47 संग्रह कुर्क अमीनों को राजकीय कर्मचारी मानते हुए राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन एवं अन्य परिणामी लाभ स्वीकृत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-693/XIV-1/2011-8(8)/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या-760/XIV-1/2011-8(8)/2010 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 व शासनादेश संख्या:-1966/XIV-1/2011-8(8)/2010 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 द्वारा पूर्व में नियुक्त 87 संग्रह कुर्क अमीनों को दिनांक 09 नवम्बर, 2000 की तिथि से आंकलित वेतन-भत्तों सहित समस्त प्रलाभ अनुमन्य किए जा चुके हैं।

2. प्रकरण में अवमानना याचिका संख्या-103/2013 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1631/XIV-1/2012-8(8)/2010 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 द्वारा नियुक्त 44 संग्रह कुर्क अमीनों को पूर्व में राजकीय स्तर प्रदान करते हुए नियुक्त किए गए अन्य संग्रह कुर्क अमीनों के समान ही दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से तथा मा0 न्यायालय में योजित विशेष याचिका के अधीन नियुक्त किए गए 03 मृतक आश्रित कुर्क अमीनों को उनकी तैनाती की तिथि से वेतन-भत्तों सहित समस्त प्रलाभ राजकीय कार्मिकों की भांति भुगतान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त संग्रह कुर्क अमीनों को देय तिथि से वेतन एवं एरियर का भुगतान, उनके द्वारा प्राप्त किये गये कमीशन की धनराशि का समायोजन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः

Kurk Amin Letter 2011-12

4. सहकारिता विभाग में नियुक्त संग्रह कुर्क अमीनों को कमीशन के आधार पर तैनाती सम्बन्धी उनकी कार्य प्रकृति के कारण मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राजकीय स्तर प्रदान करते हुए नियत तिथि से समस्त प्रलाभ दिए जा रहे हैं। इस प्रकरण को अन्य मामलों में वेतन–भत्तों आदि के भुगतान हेतु उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा।

5. इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता आयोजनेत्तर–00–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की मानक मदों से वहन किया जायेगा।

6. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–946/XXVII(7)/2013 दिनांक 08 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ0हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्याः–1893 (1)/XIV-1/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, वित्त, कार्मिक, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त–4/वित्त–7/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू0सी0कबडवाल)
अपर सचिव।